Neutral Citation
2021:CGHC:16148

AFR

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

WPS No. 7037/2011

- सुनील कुमार यादव, पिता - मनहरण सिंह यादव, आयु: लगभग 31 वर्ष, निवासी: क्वार्टर नंबर NF 161, CSEB कॉलोनी, कोरबा (पूर्व), पथर्री पारा रोड, आईटीआई चौक के पास, कोरबा, छत्तीसगढ़।

--------- याचिकाकर्ता

विरूद्ध

1. छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, विद्युत सेवा भवन, डंगनिया, रायपुर, छत्तीसगढ़ - 492013 (प्रबंध निदेशक के माध्यम से)
2. उप महाप्रबंधक (मानव संसाधन), छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, विद्युत सेवा भवन, डंगनिया, रायपुर, छत्तीसगढ़ - 492013।
3. कार्यपालन अभियंता, एक्स्ट्रा हाई टेंशन निर्माण डिवीजन, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, CSEB, कोरबा, छत्तीसगढ़।

--------- प्रतिवादीगण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता की ओर से	:	श्री एम. के. बैग, अधिवक्ता
प्रतिवादियों की ओर से	:	श्री के. आर. नायर, अधिवक्ता

माननीय न्यायाधीश: श्री संजय के. अग्रवाल

आदेश: ऑन बोर्ड

04/08/2021

1. इस मामले की कार्यवाही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई।

2. दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की सहमति से, मामले की अंतिम सुनवाई की गई।

3. याचिकाकर्ता ने दिनांक 27.06.2011 (परिशिष्ट-P/5) को प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा पारित आदेश की वैधता, कानूनीता और उपयुक्तता को चुनौती दी है, जिसके तहत याचिकाकर्ता की पदस्थापना को रद्द कर दिया गया है इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने दिनांक 13.09.2011 (परिशिष्ट-P/6) को प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा पारित आदेश को भी चुनौती दी है, जिसके तहत ट्रेनी अटेंडेंट (क्लास-III, लाइन) के पद पर की गई उनकी नियुक्ति को निरस्त कर दिया गया है। इस आदेश के तहत 08.06.2011 को प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा पारित पदस्थापना आदेश को वापस ले लिया गया और रद्द कर दिया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्री एम. के. बैग का तर्क है कि प्रतिवादियों द्वारा पारित आदेश (परिशिष्ट-P/5 और P/6), जिसके तहत याचिकाकर्ता की ट्रेनी अटेंडेंट (क्लास-III, लाइन) के पद नियुक्ति और पदस्थापना को निरस्त कर दिया गया, बिना याचिकाकर्ता को उचित सुनवाई का अवसर दिए पारित किए गए हैं। अतः उक्त विवादित आदेशों को रद्द किया जाना चाहिए।

5. श्री के. आर. नायर, जो प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता हैं, उन्होंने विवादित आदेश का समर्थन किया और प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 379/34 के तहत दंडनीय अपराध के लिए आपराधिक मामला क्रमांक 1485/2007 लंबित था यह मामला कोरबा के माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में विचाराधीन था, और चूंकि यह मामला याचिकाकर्ता की नियुक्ति की तिथि पर लंबित था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा "अवतार सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य" मामले में दिए गए निर्णय के आलोक में, यह रिट याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों को सुना, उनके द्वारा प्रस्तुत विरोधी तर्कों पर विचार किया और अत्यंत सावधानीपूर्वक पूरे रिकॉर्ड का अध्ययन किया।

7. यह कहना सही होगा कि याचिकाकर्ता को प्रतिवादियों द्वारा आदेश दिनांक 10.05.2011 (परिशिष्ट-P/1) के माध्यम से ट्रेनी अटेंडेंट श्रेणी III (लाइन) के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया था, लेकिन शामिल होने के समय, याचिकाकर्ता को एक शपथ पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी, जिसमे यह कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है। आदेश दिनांक

10.05.2011 का पालन करते हुए, याचिकाकर्ता ने 20.05.2011 को एक शपथ पत्र दायर किया, जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि उसके खिलाफ आपराधिक मामला संख्या 1485/2007, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 379/34 के तहत दंडनीय अपराध से संबंधित है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोरबा की अदालत में लंबित है। लेकिन इस तथ्य के बावजूद, प्रतिवादी क्रमांक 3 ने 08.06.2011 को (परिशिष्ट-P/3) के माध्यम से याचिकाकर्ता को दो शर्तों के अधीन नियुक्ति में शामिल होने की अनुमति दी। पहली शर्त यह थी कि यदि न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई दंड आदेश पारित किया जाता है, तो उसकी सेवाएं तुरंत समाप्त कर दी जाएंगी। दूसरी शर्त यह थी कि प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा याचिकाकर्ता की नियुक्ति के संबंध में जो भी निर्णय लिया जाएगा, वही याचिकाकर्ता को स्वीकार्य होगा। लेकिन इसके बाद, 27.06.2011 को प्रतिवादी क्रमांक 3 ने आदेश (परिशिष्ट-P/5) के माध्यम से याचिकाकर्ता की पदस्थापना को रद्द कर दिया और अंततः 13.06.2011 को आदेश (परिशिष्ट-P/6) के माध्यम से प्रतिवादी क्रमांक 2 ने यह निर्णय लिया कि चूंकि याचिकाकर्ता के खिलाफ आपराधिक मामला 1485/2007 भारतीय दंड संहिता की धारा 379/34 के तहत लंबित है, इसलिए

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता इस कारण से आदेश में उल्लिखित शर्तों और नियमों को पूरा करने में असमर्थ रहा है, इसलिए ट्रेनी अटेंडेंट श्रेणी-III (लाइन) के पद पर उसकी नियुक्ति को विवादित आदेश (परिशिष्ट P/6) के द्वारा रद्द/निरस्त कर दिया गया।

8. सर्वोच्च न्यायालय ने अवतार सिंह मामले में, पैरा 32 में निम्नलिखित निर्णय दिया है

> "32. इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक बार सत्यापन प्रपत्र में कुछ जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता हो, तो घोषणाकर्ता का कर्तव्य है कि वह इसे सही तरीके से प्रस्तुत करे। यदि कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाता है या गलत जानकारी प्रस्तुत करता है, तो यह अपने आप में सेवाओं की समाप्ति या उपयुक्त मामले में उम्मीदवारी रद्द करने का आधार बन सकता है। हालांकि, यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मामला लंबित है, और उसे अभी तक दोषमुक्त नहीं किया गया है, तो नियोक्ता उसके नियुक्ति न करने या सेवाओं को समाप्त करने के लिए न्यायसंगत हो सकता है, क्योंकि दोषसिद्धि अंततः उसे नौकरी के लिए अयोग्य बना सकती है। नियोक्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

को आपराधिक मामले के परिणाम की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह के मामले में, यदि कोई व्यक्ति जानकारी छुपाता है या गलत जानकारी प्रदान करता है, तो यह महत्वपूर्ण होगा और यह अपने आप में नियोक्ता के लिए उम्मीदवारी रद्द करने या सेवाओं को समाप्त करने का आधार बन सकता है।

इसके बाद, लॉर्डशिप्स ने कानूनी स्थिति को संक्षेप में पैरा 38 में प्रस्तुत किया हैः-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"38. हमने विभिन्न निर्णयों को देखा है और उन्हें यथासंभव स्पष्ट करने और समन्वय करने का प्रयास किया है। उपरोक्त चर्चा के दृष्टिकोण से, हम अपने निष्कर्ष को इस प्रकार संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं:

38.1 किसी उम्मीदवार द्वारा नियोक्ता को दी गई जानकारी, जो दोषसिद्धि, बरी किए जाने, गिरफ्तारी, या किसी आपराधिक मामले की लंबित स्थिति से संबंधित हो, चाहे सेवा में प्रवेश से पहले हो या बाद में, सत्य होनी चाहिए और आवश्यक जानकारी को छिपाना या गलत जानकारी देना नहीं होना चाहिए।

38.2 यदि किसी व्यक्ति द्वारा गलत जानकारी देने के कारण सेवाओं की समाप्ति या उम्मीदवारी को रद्द करने

का आदेश पारित किया जाता है, तो नियोक्ता मामले की विशेष परिस्थितियों पर ध्यान दे सकता है, यदि कोई हो, जब ऐसी जानकारी दी गई थी।

38.3 नियोक्ता को निर्णय लेते समय सरकारी आदेशों/निर्देशों/नियमों, जो कर्मचारी पर लागू होते हैं, को ध्यान में रखना चाहिए।

38.4 यदि किसी आपराधिक मामले में शामिल होने की जानकारी को छुपाया गया है या गलत जानकारी दी गई है, जहां दोषसिद्धि या बरी किया जाना पहले ही दर्ज हो चुका था और यह तथ्य आवेदन/सत्यापन फॉर्म भरने से पहले रिकॉर्ड किया गया था, और यदि यह तथ्य बाद में नियोक्ता के संज्ञान में आता है, तो मामले के अनुसार निम्नलिखित उपाय अपनाए जा सकते हैं:-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

38.4.1 यदि मामला तुच्छ प्रकृति का हो, जिसमें दोषसिद्धि दर्ज की गई हो, जैसे कि सार्वजनिक रूप से नारे लगाना जैसे किसी व्यक्ति ने युवा अवस्था में नारे लगाए हों या कोई हल्का अपराध किया हो, जो यदि उजागर होता तो भी उसे संबंधित पद के लिए अयोग्य

नहीं ठहराया जाता, तो नियोक्ता अपने विवेकानुसार ऐसे तथ्य को छुपाने या गलत जानकारी देने को नजर अंदाज कर सकता है और इस चूक को माफ कर सकता है।

38.4.2 यदि किसी मामले में दोषसिद्धि दर्ज की गई है और वह तुच्छ प्रकृति का नहीं है, तो नियोक्ता उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर सकता है या कर्मचारी की सेवाएं समाप्त कर सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

38.4.3 यदि किसी मामले में, जिसमें नैतिक भ्रष्टाचार शामिल था या गंभीर/जघन्य अपराध था, पहले ही बरी किया जाना दर्ज हो चुका है, और यह स्पष्ट बरीकरण नहीं था या यह संदेह का लाभ देने पर आधारित था, तो नियोक्ता सभी प्रासंगिक तथ्यों और पूर्ववृत्तियों को ध्यान में रख सकता है और कर्मचारी की सेवा जारी रखने के संबंध में उचित निर्णय ले सकता है।

38.5 यदि किसी मामले में कर्मचारी ने किसी निष्कर्षित आपराधिक मामले की घोषणा ईमानदारी से की है, तो नियोक्ता को अभी भी पूर्ववृत्तियों पर विचार करने का

अधिकार है और उसे उम्मीदवार को नियुक्त करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

38.6 यदि चरित्र सत्यापन प्रपत्र में किसी तुच्छ प्रकृति के आपराधिक मामले की लंबित स्थिति को ईमानदारी से घोषित किया गया है, तो नियोक्ता मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, नियोक्ता अपने विवेकानुसार ऐसे मामले के निर्णय के अधीन उम्मीदवार को नियुक्ति कर सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

38.7 यदि किसी उम्मीदवार द्वारा जानबूझकर कई लंबित मामलों से संबंधित तथ्यों को छुपाया गया है, तो इस तरह की गलत जानकारी अपने आप में महत्वपूर्ण मानी जाएगी। ऐसे में, नियोक्ता उचित आदेश पारित कर सकता है, जिसमें उम्मीदवारी को रद्द करना या सेवाओं को समाप्त करना शामिल हो सकता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति, जिसके खिलाफ कई आपराधिक मामले लंबित हैं, उचित नहीं हो सकती।

38.8 यदि कोई आपराधिक मामला लंबित था लेकिन फॉर्म भरते समय उम्मीदवार को इसकी जानकारी नहीं थी, तब भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

नियुक्ति करने वाला प्राधिकरण अपराध की गंभीरता पर विचार करने के बाद निर्णय ले सकता है

38.9 यदि कर्मचारी को सेवा में पुष्टि मिल गई है, तो सेवाओं को समाप्त करने, हटाने या बर्खास्त करने के आदेश पारित करने से पहले विभागीय जांच करना आवश्यक होगा, यदि यह पाया जाता है कि सत्यापन फॉर्म में जानकारी छुपाई गई थी या गलत जानकारी प्रस्तुत की गई थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

38.10 गलत जानकारी या तथ्यों को छुपाने का निर्धारण करने के लिए, सत्यापन/प्रमाणन फॉर्म को स्पष्ट और विशिष्ट होना चाहिए, अस्पष्ट नहीं। केवल वही जानकारी, जिसका विशेष रूप से उल्लेख किया जाना आवश्यक था, प्रकट की जानी चाहिए। यदि कोई जानकारी मांगी नहीं गई थी लेकिन वह प्रासंगिक है और नियोक्ता के संज्ञान में आती है, तो इसे निष्पक्ष रूप से कर्मचारी की फिटनेस के संदर्भ में विचार किया जा सकता है। ऐसे मामलों में, यदि कोई तथ्य मांगा ही नहीं गया था, तो उसे छुपाने या गलत जानकारी

प्रस्तुत करने के आधार पर कार्रवाई नहीं की जा सकती।

38.11 किसी व्यक्ति को suppressio veri (सत्य को छुपाने) या suggestio falsi (गलत सूचना देने) का दोषी ठहराने से पहले, उस तथ्य की जानकारी उस व्यक्ति को होनी चाहिए।

9. मामले के तथ्यों पर लौटते हुए, सुप्रीम कोर्ट द्वारा अवतार सिंह (उपर्युक्त) मामले में निर्धारित सिद्धांतों के आलोक में यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता को पहले प्रतिवादी क्रमांक 3 द्वारा दो शर्तों के अधीन नियुक्त होने की अनुमति दी गई थी, जिसमें से एक यह थी कि उसकी नियुक्ति को अंतिम रूप से प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा स्वीकार किया जाना था। तदनुसार, प्रतिवादी कंपनी ने यह निर्णय लिया कि चूंकि याचिकाकर्ता के खिलाफ आपराधिक मामला क्रमांक 1485/2007, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 379/34 के तहत दंडनीय अपराध से संबंधित है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोरबा की अदालत में लंबित है और यह मामला 10.05.2011 को उसकी नियुक्ति की तारीख तक तय नहीं किया गया था। इसके अलावा, याचिकाकर्ता पदस्थापन आदेश में उल्लिखित नियमों और शर्तों को पूरा करने में असफल रहा है, इसलिए याचिकाकर्ता की

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

नियुक्ति ट्रेनी अटेंडेंट श्रेणी-III (लाइन) के पद पर याचिकाकर्ता की नियुक्ति को रद्द/निरस्त कर दिया गया है और दिनांक 10.05.2011 (परिशिष्ट-P/1) का पदस्थापन आदेश वापस ले लिया गया है, जो कि कानून के पूर्ण अनुरूप है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा अवतार सिंह (उपर्युक्त) मामले में दिए गए निर्णय के अनुसार है, क्योंकि यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया था कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आपराधिक मामला उसकी नियुक्ति की तारीख पर लंबित था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिया गया यह तर्क कि याचिकाकर्ता को बाद में 08.12.2012 को आपराधिक न्यायालय द्वारा बरी कर दिया गया था, याचिकाकर्ता के लिए अब कोई उपयोगी नहीं है, क्योंकि उसकी नियुक्ति की तारीख पर आपराधिक मामला स्पष्ट रूप से उसके खिलाफ लंबित था। इसी कारण से, प्रतिवादी कंपनी याचिकाकर्ता की सेवाओं को समाप्त करने के लिए उचित रूप से अधिकार प्राप्त थी।

11. परिणामस्वरूप, मैं इस रिट याचिका में कोई सार नहीं पाता। यह खारिज किए जाने योग्य है और तदनुसार इसे खारिज किया जाता है, जिससे प्रत्येक पक्ष अपने स्वयं के खर्चों का वहन करेगा।

सही/-
संजय के. अग्रवाल
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur